संख्या-10 /2019/पी-46/अड्तीस-9-2019-9(बजट)/2018

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक-13 फरवरी 2019**

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त छः माहों हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-17/2016/पी-244/अड्तीस-9-2018-10(बजट)/2017 दिनांक-14.05.2018 एवं आपके पत्र सं0-4398/एफ-31(8)/यूपीआरआरडीए/2018-19 दिनांक-17.01.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के संचालन हेतु सहायता अनुदान में गैर वेतन मद के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 220.00 लाख के सापेक्ष द्वतीय छः माहों हेतु रू0 11000000.00 (रूपये एक करोड़ दस लाख मात्र) को आपके निर्वतन पर रखने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1)प्रथम किश्त के व्यय/आकड़ों की शुद्धता का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीआरआरडीए, लखनऊ का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियमसंगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीआरआरडीए, लखनऊ का होगा।

(3)स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीआरआरडीए, लखनऊ का होगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/ अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा किया जायेगा।

(6) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-135/दस-2018-231/2018 दिनांक-30 मार्च, 2018 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-04-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-0401-उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 की अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-114 /दस-2019, दिनांक-11 फरवरी 2019 द्वारा प्राप्त सहमत से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-10/2019/पी-46(1)/अड़तीस-9-2019, तद दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- निदेशक, बजट/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्डबुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in